अध्याय

2 उच्च शिक्षा के लिए समान और वहनीय उपलब्धता

यह अध्याय उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा के लिए वहनीय और समान उपलब्धता पर चर्चा करता है। उच्च शिक्षण संस्थानों तथा उत्तर प्रदेश सरकार के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्य तैयार किये गये थे।

लेखापरीक्षा उद्देश्य 1: क्या सभी के लिए उच्च शिक्षा की समान और वहनीय उपलब्धता सुनिश्चित की गई थी?

अध्याय का संक्षिप्त विवरण:

- उ0प्र0 शासन ने उच्च शिक्षा सुविधाओं की कमी वाले इलाकों की पहचान करने के लिए भौगोलिक मानचित्रण नहीं किया था। राज्य के चार क्षेत्रों (पूर्व, पश्चिम, मध्य और बुंदेलखंड) में विश्वविद्यालयों का वितरण असमान था।
- उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों और शासकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की संख्या 2016–17 से स्थिर थी। हालांकि, स्व–वित्तपोषित महाविद्यालयों की संख्या 2016–17 में 5,377 से बढ़कर 2019–20 में 6,682 हो गई।
- पांच जिलों में कोई शासकीय महाविद्यालय नहीं था और अन्य पांच जिलों में पुरुष या सह–शिक्षा शासकीय महाविद्यालय नहीं थे। इसके अलावा, 20 जिलों में न तो शासकीय और न ही अशासकीय सहायता प्राप्त बालिका महाविद्यालय थे।
- वर्ष 2019–20 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों का सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय औसत से बेहतर था।
- नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों और सम्बद्ध महाविद्यालयों में लैंगिक समानता प्रचार कार्यक्रम केवल छिटपुट रूप से आयोजित किए गए थे।
- नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों और सम्बद्ध महाविद्यालयों ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया, हालांकि, बड़ी संख्या में ईडब्ल्यूएस सीटें खाली रहीं।
- नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की कक्षाओं में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) शिक्षण उपकरणों की उपलब्धता अवश्यकता से बहुत कम थी। हालांकि, विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों ने छात्रों को ई–संसाधनों तक पहुंच प्रदान की है। नमूना जांच किए गए कई महाविद्यालयों में विशेष रूप से निःशक्त छात्रों के लिए ढांचागत सुविधाओं की कमी थी।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय से महाविद्यालयों की सम्बद्धता) विनियम 2009 में प्रावधान के बावजूद, नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों ने निजी सम्बद्ध महाविद्यालयों के लिए शुल्क संरचना निर्धारित नहीं की थी। शुल्क संरचना की निगरानी के लिए किसी तंत्र के अभाव में, नमूना–जांच किए गए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में समान पाठ्यक्रमों के भीतर भी व्यापक भिन्नता थी।
- वर्ष 2017–20 के दौरान महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 73 से 80 प्रतिशत छात्र और लखनऊ विश्वविद्यालय में 56 से 67 प्रतिशत छात्र राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई छात्रवृत्ति से लाभान्वित हुए।

2.1 परिचय

सितंबर 2015 में अपनाए गए सतत् विकास के लिए एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 (एसडीजी –4) में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और 2030 तक सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

उन सभी को जो उच्च शिक्षा के पात्र और इच्छा रखते हैं, अधिक पहुंच के लिए अवसर प्रदान करने के लिए उच्च शिक्षा क्षेत्र की शिक्षा संस्थागत क्षमता में वृद्धि की आवश्यकता है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) ने उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग को पहचाना और प्रतिक्रिया व्यक्त की। सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) का उपयोग अक्सर उच्च शिक्षा पहुंच को मापने के लिए किया जाता है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, वर्ष 2035 तक सकल नामांकन अनुपात 50 प्रतिशत तक पहुंच जाना चाहिए। समानता में गरीबों और सामाजिक रूप से वंचित समूहों की उच्च शिक्षा तक उचित पहुंच सम्मिलित है।

यह अध्याय गुणवत्ता, प्रयासों और पहलों से समझौता किए बिना पहुंच और समानता बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा प्रणाली और तंत्र में पहुंच, समानता और सामर्थ्य के विभिन्न आयामों पर चर्चा करता है। पहुंच, और समानता की निविष्टियों, उत्पाद और परिणामों को नीचे दिए गए चित्र में संक्षेपित किया गया है

2.2 उच्च शिक्षा तक आसान पहुंच

एक सरकार के लिए उच्च शिक्षा के प्रमुख परिणामों में से एक अपनी विभिन्न नीतियों, योजनाओं और प्रशासनिक निर्णयों के माध्यम से सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करना है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना का अनुच्छेद 21.105, मौजूदा बुनियादी ढांचे और भौतिक सुविधाओं के विस्तार, समेकन और बेहतर उपयोग के संसाधन मानचित्रण के माध्यम से उच्च पहुंच प्राप्त करने की ओर केंद्रित है। इसके अलावा, योजनाओं के लिए भारत सरकार का आउटपुट–परिणाम ढांचा अन्य बातों के साथ–साथ पहुंच बढ़ाने पर भी केंद्रित है।

2.2.1 उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन उच्च शिक्षण संस्थान

मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश में 75 जिले थे और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या और साक्षरता अनुपात क्रमशः 19.98 करोड़ और 67.68 प्रतिशत था। वर्ष 2014–20 के दौरान, तकनीकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा संस्थानों को छोड़कर, उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विश्वविद्यालयों (निजी विश्वविद्यालयों सहित) और महाविद्यालयों की संख्या **तालिका 2.1** में दी गई है:

तालिका 2.1: विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों की संख्या और प्रति कॉलेज औसत नामांकन

वर्ष	विश्वविद्यालयों की संख्या			महाविद्यालयों की संख्या				कुल नामांकन (लाख में)	प्रति महाविद्यालय औसत नामांकन
	राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालय	निजी विश्वविद्यालय	कुल	शासकीय महाविद्यालय	अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय	स्व वित्तपोषित महाविद्यालय	कुल		
2014-15	15	21	36	138	331	4,277	4,746	81.89	1,726
2015-16	16	22	38	166	331	4,689	5,186	94.88	1,830
2016-17	18	27	45	170	331	5,377	5,878	93.75	1,595
2017-18	18	27	45	170	331	6,192	6,693	92.76	1,386
2018-19	18	27	45	170	331	6,531	7,032	91.66	1,303
2019-20	18	27	45	170	331	6,682	7,183	90.61	1,261

(स्रोतः उच्च शिक्षा विभाग)

तालिका 2.1 से स्पष्ट है कि उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों (18) और निजी विश्वविद्यालयों (27) की संख्या 2016–17 से स्थिर थी। इसी तरह, शासकीय महाविद्यालयों (170) और अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों (331) की संख्या में भी क्रमशः 2016–17 और 2014–15 से कोई बदलाव नहीं हुआ। इस प्रकार, अवधि (2016–20) के दौरान राज्य ने सामान्य धारा (राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और शासकीय महाविद्यालयों/अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों) के उच्च अध्ययन के शासकीय वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों के विस्तार की कल्पना नहीं की। इसके अलावा, महाविद्यालयों में छात्रों का नामांकन जो 2015–16 में 94.88 लाख था, साल दर साल घट रहा था और 2019–20 में घटकर 90.61 लाख हो गया।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2022) कि वर्तमान में राज्य में 19 राज्य विश्वविद्यालय, 01 डीम्ड विश्वविद्यालय, 01 मुक्त विश्वविद्यालय, 30 निजी विश्वविद्यालय, 172 शासकीय महाविद्यालय, 331 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय और 7,372 स्व–वित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं। आगे यह भी कहा गया कि स्व–वित्तपोषित महाविद्यालयों की स्थापना प्रति महाविद्यालय औसत नामांकन में कमी का कारण थी। समापन गोष्ठी (15 जुलाई 2022) में कहा गया था कि छात्रों ने इंजीनियरिंग/मेडिकल आदि जैसे अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया होगा।

2.2.2 नए उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए नीतियां

समावेशी और सुलभ उच्च शिक्षा प्रदान करने में राज्य की नीति की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए, लेखापरीक्षा ने इस संबंध में नीति दस्तावेजों की मांग की। हमें सूचित किया गया (अगस्त 2021) कि राज्य में नए विश्वविद्यालय/महाविद्यालय खोलने के संबंध में कोई व्यापक नीति मौजूद नहीं है। हालांकि, असेवित क्षेत्रों में निजी प्रबंधन द्वारा नए महाविद्यालय खोलने की योजना मई 1999 से लागू है। असेवित क्षेत्र तय करने वाले मानदंड नीचे दिए गए हैं:

1. जिन विकास खण्डों में कोई महाविद्यालय नहीं है, उन्हें नए महाविद्यालय खोलने के लिए प्राथमिकता दी जानी थी;
2. जिन विकास खण्डों में किसी विशेष स्ट्रीम का महाविद्यालय नहीं है, उन्हें उस विशेष स्ट्रीम के संबंध में असेवित माना जाता है;
3. सह–शिक्षा वाले महाविद्यालय वाले विकास खण्डों को बालिका महाविद्यालय के लिए असेवित माना जाता है; तथा
4. जिस विकास खण्ड में बालिका महाविद्यालय है, वह सह–शिक्षा महाविद्यालय के लिए असेवित माना जाता है।

योजनान्तर्गत स्व–वित्तपोषित कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय खोलने हेतु ₹ 30 लाख तथा विज्ञान महाविद्यालयों के लिए ₹ 40 लाख का सहायता अनुदान अनुमन्य था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि उच्च शिक्षा विभाग के पास राज्य में असेवित क्षेत्र/विकास खण्डों से सम्बन्धित विवरण जहां महाविद्यालय नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे। विभाग ने कहा (अगस्त 2021) कि असेवित क्षेत्र/विकास खण्ड की पहचान के लिए कोई भौतिक सर्वेक्षण या भू–मानचित्रण नहीं किया गया था।

आगे संवीक्षा में पता चला कि विभाग ने 2014–17 के दौरान असेवित क्षेत्र में 90 महाविद्यालय खोलने के लिए सहायता अनुदान स्वीकृत किया था। तथापि, इन नए महाविद्यालयों को असेवित क्षेत्र के सर्वेक्षण के बिना जिस आधार पर स्वीकृति प्रदान की गई थी, लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। इस सन्दर्भ में विभाग ने बताया (अगस्त 2021) कि महाविद्यालय खोलने के प्रस्ताव समाचार पत्रों के विज्ञापन/विभागीय वेबसाइट के माध्यम से आमंत्रित किये गये थे और प्रस्तावों की प्राप्ति के बाद विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि वर्ष 2014–17 के दौरान ऐसे 90[1] महाविद्यालयों के अनुमोदन के विरूद्ध मार्च 2020 तक केवल 64 महाविद्यालयों का निर्माण पूर्ण हुआ था तथा सम्बद्धता केवल 12 महाविद्यालयों द्वारा प्राप्त की गई थी। अगस्त 2021 तक इन 90 महाविद्यालयों के लिए स्वीकृत ₹ 23.90 करोड़ के कुल अनुदान में से मात्र ₹ 14.90 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था। उपयोगिता प्रमाण पत्रों के अभाव में, इस बात का कोई आश्वासन नहीं था कि संवितरित सहायता अनुदान वास्तव में महाविद्यालयों के निर्माण के प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया था, इसके अलावा यह धन के विचलन और दुर्विनियोजन के जोखिम से भी भरा था। अग्रेतर, आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करने के कारण, ऐसे पांच महाविद्यालयों को दिए गए ₹ 50 लाख के अनुदान को वसूल कर शासकीय खाते में जमा कर दिया गया है। वर्ष 2017–18 से योजनान्तर्गत किसी भी नये महाविद्यालय के लिए कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया।

2.2.3 उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षण संस्थानों का वितरण

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि मार्च 2020 तक राज्य में 170 शासकीय महाविद्यालय थे। जिसमें से 130 महाविद्यालय बालकों या सह–शिक्षा के लिए और 40 महाविद्यालय बालिकाओं के लिए थे। 331 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में से 267 महाविद्यालय सह–शिक्षा के लिए थे और 64 बालिकाओं के लिए थे।

आगे की जांच से पता चला कि राज्य के प्रत्येक जिले में या तो शासकीय महाविद्यालय या अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय या दोनों थे। हालांकि, 20 जिलों में शासकीय या अशासकीय सहायता प्राप्त बालिका महाविद्यालय नहीं थे। इसके अलावा, पांच जिलों (बहराइच, गोंडा, हापुड़, मुजफ्फरनगर और सुल्तानपुर) में कोई शासकीय महाविद्यालय नहीं था और अन्य पांच जिलों (आजमगढ़, बलिया, इटावा, फिरोजाबाद और मेरठ) में पुरुष या सह–शिक्षा वाले शासकीय महाविद्यालय नहीं थे। इस प्रकार, जिन जिलों में शासकीय महाविद्यालय उपलब्ध नहीं थे, वहां के छात्र पूरी तरह से अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों और स्व–वित्तपोषित निजी महाविद्यालयों पर निर्भर थे।

चूंकि बालिकाओं के शासकीय महाविद्यालयों की उपलब्धता लैंगिक समानता लाने में योगदान करती है, इसलिए राज्य के विभिन्न जिलों में बालिकाओं के शासकीय महाविद्यालयों की अनुपलब्धता छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए समानता पर सवाल उठाती है।

2.2.4 क्षेत्रीय सुलभता

क्षेत्रीय सुलभता प्राप्त करने का तात्पर्य भौगोलिक और अन्य प्रतिबन्धों के बावजूद, राज्य के सभी क्षेत्रों में भावी छात्रों को पर्याप्त पहुंच प्रदान करना है।

[1] 2014-15 (51 महाविद्यालय), 2015-16 (16 महाविद्यालय) और 2016-17 (23 महाविद्यालय)।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के 'उच्च शिक्षा में समावेशी और गुणात्मक विस्तार' पर जारी प्रतिवेदन के प्रस्तर 2.2.2 (ई) के अनुसार, उच्च शिक्षण संस्थानों का विकास पूरे देश में एक समान नहीं है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में बताया गया कि शिक्षण संस्थानों के वितरण में उद्देश्य क्षेत्रीय और अनुशासनात्मक असंतुलन को ठीक करना होना चाहिए। अग्रेतर, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तर 21.207 में यह परिकल्पित है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं का भौगोलिक मानचित्रण उच्च शिक्षा सुविधाओं की कमी वाले स्थानों और बस्तियों की पहचान करने के लिए किया जाना चाहिए।

2.2.4.1 शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभता

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महाविद्यालयों की अधिक उपलब्धता से सुलभता में वृद्धि होती है। राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2014–20 के दौरान महाविद्यालयों की उपलब्धता नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका 2.2: उत्तर प्रदेश में शासकीय महाविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों और स्व–वित्तपोषित महाविद्यालयों की संख्या

वर्ष	शासकीय महाविद्यालय			अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय			स्व–वित्तपोषित निजी महाविद्यालय		
	कुल	शहरी	ग्रामीण	कुल	शहरी	ग्रामीण	कुल	शहरी	ग्रामीण
2014-15	138	41	97	331	209	122	4,277	855	3,422
2015-16	166	50	116	331	209	122	4,689	938	3,751
2016-17	170	51	119	331	209	122	5,377	1,075	4,302
2017-18	170	51	119	331	209	122	6,192	1,238	4,954
2018-19	170	51	119	331	209	122	6,531	1,306	5,225
2019-20	170	51	119	331	209	122	6,682	1,403	5,279

(स्रोत: उच्च शिक्षा विभाग)

उपरोक्त **तालिका 2.2** से यह देखा जा सकता है कि राज्य में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की संख्या क्रमशः 2016–17 और 2014–15 से स्थिर थी। यद्यपि, स्व–वित्तपोषित निजी महाविद्यालयों की संख्या 56 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2014–15 में 4,277 से बढ़कर 2019–20 में 6,682 हो गई। इसी अवधि में स्व–वित्तपोषित निजी महाविद्यालयों में शहरी क्षेत्रों में 64 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार, वर्ष 2014–20 की अवधि के दौरान महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि, जिसके कारण सुलभता में सुधार हुआ, पूरी तरह से स्व–वित्तपोषित निजी महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि के कारण थी।

2.2.4.2 चयनित विश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों का वितरण

नमूना जांच में लिए गये विश्वविद्यालयों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महाविद्यालयों का वितरण **चार्ट 2.1** और **तालिका 2.3** में दिया गया है।

चार्ट 2.1: महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महाविद्यालयों का वितरण

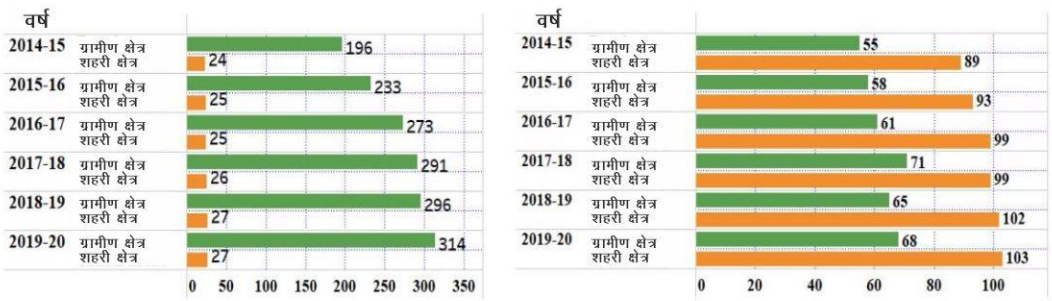

तालिका 2.3: महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय में महाविद्यालयों, कुल छात्र और प्रति महाविद्यालय औसत छात्रों की संख्या

वर्ष	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	कुल महाविद्यालय	कुल छात्र	प्रति महाविद्यालय औसत छात्र
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ					
2014-15	24	196	220	3,29,805	1,499
2015-16	25	233	258	3,77,651	1,464
2016-17	25	273	298	3,82,114	1,282
2017-18	26	291	317	3,30,938	1,044
2018-19	27	296	323	2,94,754	912
2019-20	27	314	341	2,59,754	761
लखनऊ विश्वविद्यालय					
2014-15	89	55	144	उपलब्ध नहीं कराया	उपलब्ध नहीं कराया
2015-16	93	58	151	उपलब्ध नहीं कराया	उपलब्ध नहीं कराया
2016-17	99	61	160	उपलब्ध नहीं कराया	उपलब्ध नहीं कराया
2017-18	99	71	170	1,05,861	623
2018-19	102	65	167	1,06,947	640
2019-20	103	68	171	1,16,888	684

(स्रोतः महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय)

तालिका 2.3 से स्पष्ट है कि वर्ष 2019–20 के दौरान महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के पांच[2] जिलों के 341 महाविद्यालयों में से 27 (8 प्रतिशत) महाविद्यालय शहरी क्षेत्रों में और 314 (92 प्रतिशत) महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध थे। अग्रेतर, वर्ष 2014–20 के दौरान शहरी क्षेत्रों में महाविद्यालयों की संख्या लगभग स्थिर रही, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई। फिर भी ये महाविद्यालय उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिक छात्रों को आकर्षित करने में विफल रहे क्योंकि वर्ष 2016–17 के छात्रों की तुलना में कुल छात्रों की संख्या में सतत कमी (32 प्रतिशत) हो रही थी। प्रति महाविद्यालय छात्रों की औसत संख्या भी (49 प्रतिशत) घटकर वर्ष 2014–15 में 1,499 छात्रों से वर्ष 2019–20 में 761 हो गई।

मार्च 2020 तक, लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अधिकांश महाविद्यालय लखनऊ जनपद के शहरी क्षेत्रों से सम्बन्धित थे। विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 171 महाविद्यालयों के वर्ष 2014–17 के दौरान के छात्रों की संख्या से सम्बन्धित आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए थे जिसके कारण उस अवधि के आंकड़ों का लेखापरीक्षा में विश्लेषण नहीं किया जा सका। वर्ष 2017–20 के दौरान, शहरी क्षेत्र में महाविद्यालयों की संख्या थोड़ा बढ़कर 99 से 103 हो गई जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 71 से घटकर 68 हो गई। हालांकि, उस अवधि के दौरान, महाविद्यालयों की कुल संख्या 170 से बढ़कर 171 हो गई और प्रति महाविद्यालय औसत छात्र 623 से बढ़कर 684 हो गया। इस प्रकार, लखनऊ विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा तक पहुंच पिछले वर्षों की तुलना में थोड़ी बढ़ी है।

2.2.4.3 राज्य के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में सुलभता

किसी क्षेत्र के भौगोलिक पहलू भी उच्च शिक्षा की आसानी से सुलभता को प्रभावित करते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना के पैराग्राफ 21.207 में यह परिकल्पित है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं का भौगोलिक मानचित्रण उच्च शिक्षण संस्थाओं की कमी वाले स्थानों और बस्तियों की पहचान करने के लिए किया जाना था, उत्तर प्रदेश सरकार के पास न तो राज्य में उच्च शिक्षा संस्थानों के भौगोलिक मानचित्रण के लिए कोई नीति थी और न ही इसने उच्च शिक्षा सुविधाओं की कमी वाले स्थानों की संख्या की पहचान करने के लिए कोई भौगोलिक मानचित्रण किया और तद्नुसार राज्य में उच्च शिक्षण संस्थानों की कुल आवश्यकता का आकलन किया।

लेखापरीक्षा ने सामान्य स्ट्रीम में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले महाविद्यालयों की क्षेत्रवार उपलब्धता का विश्लेषण किया। राज्य के चार भौगोलिक क्षेत्रों ***(परिशिष्ट 2.1)*** में 2014–20 के दौरान

[2] भदोही, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र और वाराणसी।

शासकीय महाविद्यालयों और अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों का वितरण **तालिका 2.4** में दिया गया है:

तालिका 2.4: उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रों में शासकीय महाविद्यालयों और अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों का वितरण

भौगोलिक क्षेत्र (जनपदों की संख्या)	शासकीय महाविद्यालयों की संख्या		अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की संख्या		कुल महाविद्यालयों की संख्या		जनसँख्या (18–23 वर्ष के आयुवर्ग के लिए जनगणना 2011) (प्रतिशत)
	2014 -15 (प्रतिशत)	2019 –20 (प्रतिशत)	2014 -15 (प्रतिशत)	2019 –20 (प्रतिशत)	2014 -15 (प्रतिशत)	2019 –20 (प्रतिशत)	
पूर्वी (28 जिले)	54 (39)	63 (37)	122 (37)	122 (37)	176 (38)	185 (37)	90,50,625 (38)
पश्चिमी (30 जिले)	52 (38)	65 (38)	132 (40)	132 (40)	184 (39)	197 (39)	93,15,529 (39)
मध्य (10 जिले)	18 (13)	24 (14)	64 (19)	64 (19)	82 (18)	88 (18)	42,57,453 (19)
बुन्देलखण्ड (7 जिले)	14 (10)	18 (11)	13 (4)	13 (4)	27 (6)	31 (6)	10,94,724 (5)
योग	**138**	**170**	**331**	**331**	**469**	**501**	**2,37,18,321**

(स्रोत: उच्च शिक्षा निदेशालय)

जैसा कि **तालिका 2.4** से स्पष्ट है, वर्ष 2019–20 में राज्य के चार क्षेत्रों में 18–23 वर्ष के आयु वर्ग के अंतर्गत जनसंख्या का क्षेत्रवार वितरण प्रतिशत की तुलना में महाविद्यालयों का वितरण लगभग सामान था। फिर भी, लेखापरीक्षा ने विश्वविद्यालयों की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन पाया। उच्च शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों का वर्ष 2019–20 तक क्षेत्रवार वितरण निम्नानुसार था:

तालिका 2.5: 2019–20 के दौरान उच्च शिक्षा विभाग में राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों का क्षेत्रीय वितरण

क्र0 सं0	क्षेत्र का नाम (जनपदों की संख्या)	राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों की संख्या (प्रतिशत)	जनसंख्या[3] (प्रतिशत)
1.	**पूर्वी (28)**	9 (20)	90,50,625 (38)
2.	**पश्चिमी (30)**	26 (58)	93,15,529 (39)
3.	**मध्य (10)**	9 (20)	42,57,453 (19)
4.	**बुन्देलखण्ड (7)**	1 (2)	10,94,724 (5)
योग		**45**	**2,37,18,321**

(स्रोत: उच्च शिक्षा निदेशालय)

जैसा कि **तालिका 2.5** और **चार्ट 2.2** से स्पष्ट है, विभिन्न क्षेत्रों में राज्य विश्वविद्यालयों का प्रतिशत, उनकी 18–23 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या के अनुरूप नहीं था। 58 प्रतिशत विश्वविद्यालय पश्चिमी क्षेत्र, जो राज्य की उपरोक्त जनसंख्या का केवल 39 प्रतिशत ही समायोजित करता था, में वितरित थे। पूर्वी क्षेत्र में विश्वविद्यालयों का प्रतिशत और इसमें रहने वाली

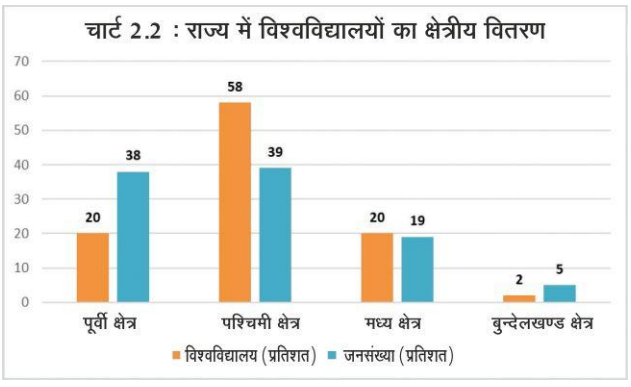

[3] 2011 की जनगणना के अनुसार (आयु वर्ग 18–23 वर्ष)।

जनसंख्या क्रमशः 20 प्रतिशत और 38 प्रतिशत थी। बुंदेलखंड क्षेत्र में यद्यपि ऐसी आबादी पांच प्रतिशत थी, लेकिन इस क्षेत्र में केवल दो प्रतिशत विश्वविद्यालय ही उपलब्ध थे। राज्य सरकार के पास राज्य के शहरी, ग्रामीण, आदिवासी और अल्प सेवित क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में कोई नीति नहीं थी।

2.2.4.4 शैक्षणिक विकल्पों की विभिन्न शाखाओं तक सुलभता

एक इच्छुक छात्र जो उच्च शिक्षा के माध्यम से अध्ययन करना चाहता है के लिये शिक्षण क्षेत्र के संदर्भ में शैक्षिक पसंद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सभी क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले बहु–विषयक और संकर–विषयक शिक्षण और अनुसंधान को संभव और प्रोत्साहित करने के लिए नयी शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तर 10.11 में कहा गया है कि एकल विषयक उच्च शिक्षण संस्थाओं को समय के साथ समाप्त कर दिया जाएगा और सभी जीवंत बहु–विषयक संस्थान या जीवंत बहु–विषयक उच्च शिक्षण संस्थान समूहों के हिस्से बनने की ओर अग्रसर होंगें। **तालिका 2.6** और **चार्ट 2.3** राज्य में वर्ष 2014–20 की अवधि के दौरान महाविद्यालयों की संकाय–वार स्थिति प्रदर्शित करती है।

तालिका 2.6: उत्तर प्रदेश में महाविद्यालयों की संकाय–वार संख्या

वर्ष	शासकीय महाविद्यालय				अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय				स्व–वित्तपोषित महाविद्यालय			
	महाविद्यालयों की संख्या	कला	विज्ञान	वाणिज्य	महा विद्यालयों की संख्या	कला	विज्ञान	वाणिज्य	महा विद्यालयों की संख्या	कला	विज्ञान	वाणिज्य
2014-15	138	138	19	12	331	305	99	79	4,,277	4,277	2,010	642
2015-16	166	166	23	16	331	308	99	79	4,689	4,689	2,204	703
2016-17	170	170	24	17	331	305	99	79	5,377	5,377	2,527	807
2017-18	170	170	24	17	331	305	99	79	6,192	6,192	2,910	929
2018-19	170	170	24	19	331	305	99	79	6,531	6,531	3,070	980
2019-20	170	170	24	19	331	318	99	83	6,682	6,682	3,141	1,069

(स्रोतः उच्च शिक्षा निदेशालय)

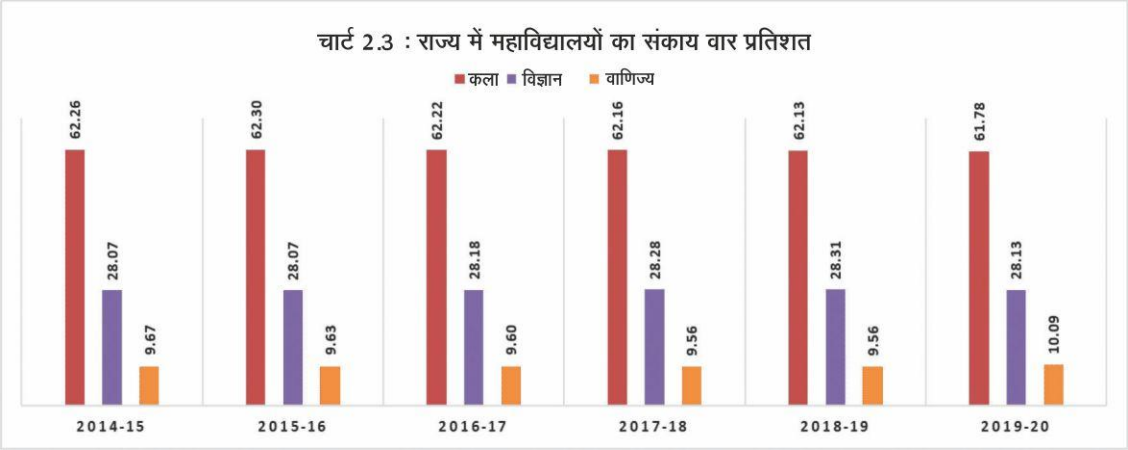

तालिका 2.6 और **चार्ट 2.3** से देखा जा सकता है कि सभी शासकीय और स्व–वित्तपोषित महाविद्यालयों में कला संकाय उपलब्ध था। कुल मिलाकर वर्ष 2019–20 के दौरान विज्ञान और वाणिज्य संकाय क्रमशः 28 प्रतिशत और 10 प्रतिशत महाविद्यालयों में उपलब्ध था। अग्रेतर, विज्ञान और कला संकाय वाले शासकीय महाविद्यालयों की कुल संख्या वर्ष 2016–17 से स्थिर थी। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के सन्दर्भ में वर्ष 2014–20 की अवधि के दौरान विज्ञान संकाय (99 महाविद्यालय) स्थिर रहा। नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों की संकाय–वार उपलब्धता **तालिका 2.7** और **चार्ट 2.4** में दी गई है।

तालिका 2.7: वर्ष 2019–20 के दौरान महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय में संकाय उपलब्धता

जिला	कुल महाविद्यालयों की संख्या			शहरी क्षेत्र में महाविद्यालयों की संख्या			ग्रामीण क्षेत्र में महाविद्यालयों की संख्या		
	शहरी	ग्रामीण	योग	कला	वाणिज्य	विज्ञान	कला	वाणिज्य	विज्ञान
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी									
भदोही	1	24	25	1	0	0	24	6	9
चन्दौली	4	80	84	4	2	1	80	11	8
मिर्जापुर	5	78	83	5	2	2	78	16	22
सोनभद्र	2	40	42	2	1	1	40	12	14
वाराणसी	15	92	107	15	8	9	92	40	32
योग	27	314	341	27	13	13	314	85	85
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ									
लखनऊ	86	44	130	63	80	41	27	40	11

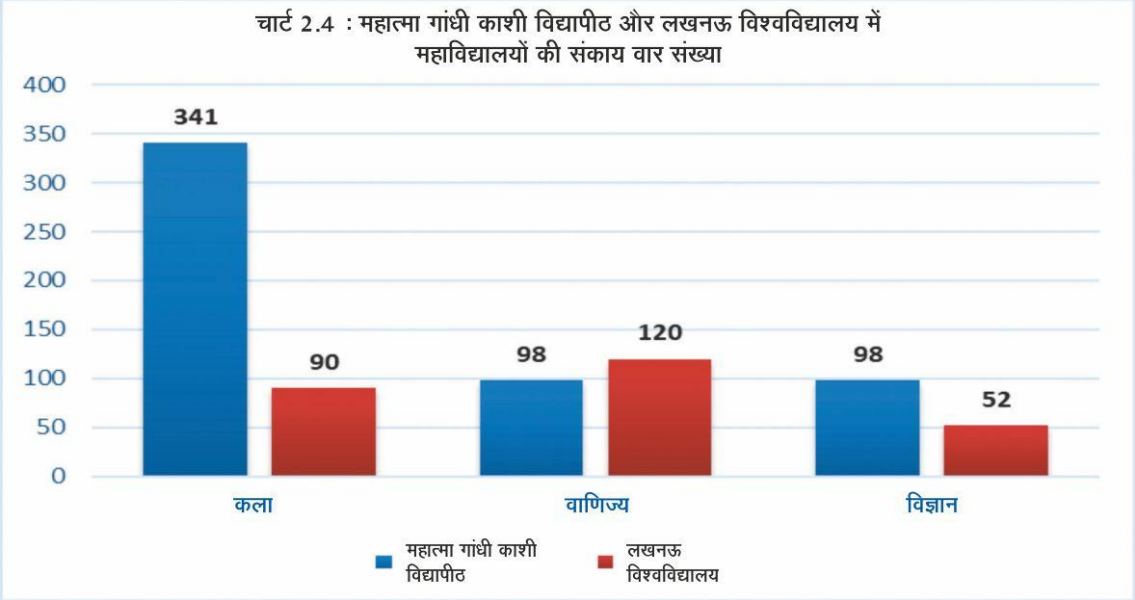

संकाय असंतुलन, जैसा कि **तालिका 2.7** और **चार्ट 2.4** में दिखाया गया है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवंत बहु–विषयक संस्थानों की उपलब्धता की कमी को दर्शाता है, जो महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय दोनों में छात्रों को विभिन्न संकायों के विकल्प का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं।

2.2.5 सकल नामांकन अनुपात

उच्च शिक्षा के सुलभता को मापने के लिए प्रायः सकल नामांकन अनुपात का उपयोग किया जाता है। 18–23 वर्ष के पात्र आयु वर्ग में जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में उच्च शिक्षा (डिग्री और डिप्लोमा दोनों कार्यक्रमों) में कुल नामांकन को सकल नामांकन अनुपात कहते है। 2014–20 के दौरान अपने लक्ष्य के सापेक्ष सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि उच्च शिक्षा में परिणामों के संकेतकों में से एक है। ***(परिशिष्ट 1.2 का क्रमांक 19)***।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना में 2016–17 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 25 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। अग्रेतर, राज्य सरकार ने वर्ष 2020 तक 30 प्रतिशत

सकल नामांकन अनुपात और 2030 तक 40 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य निर्धारित किया। सकल नामांकन अनुपात डेटा के संदर्भ में राज्य की उपलब्धि **तालिका 2.8** में दी गई है।

तालिका 2.8: सकल नामांकन अनुपात का डेटा

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
भारत का सकल नामांकन अनुपात	24.30	24.50	25.20	25.80	26.30	27.10
उत्तर प्रदेश का सकल नामांकन अनुपात	25.00	24.50	24.90	25.90	25.80	25.30
उत्तर प्रदेश की श्रेणी	18	19	19	19	20	21

(स्रोत: उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण प्रतिवेदन)

तालिका 2.8 से विदित होता है:

- राज्य सरकार ने 2020 तक 30 प्रतिशत के सकल नामांकन अनुपात के अपने लक्ष्य को हासिल नहीं किया।
- उत्तर प्रदेश के सकल नामांकन अनुपात ने वर्ष 2014–15 से वर्ष 2019–20 के दौरान उतार–चढ़ाव की प्रवृत्ति दिखाई, यह वर्ष 2014–20 के दौरान (वर्ष 2014–15 और 2017–18 को छोड़कर) अखिल भारतीय सकल नामांकन अनुपात से कम था।
- राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सकल नामांकन अनुपात के मामले में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग में वर्ष 2014–15 के 18वें स्थान से गिरकर वर्ष 2019–20 में 21वें स्थान पर पहुंच गया।

शासन द्वारा कहा गया (जुलाई 2022) कि सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से राज्य में सकल नामांकन अनुपात में सुधार होगा।

2.2.6 सीट और आवेदन अनुपात

प्रत्येक कार्यक्रम में प्रवेश क्षमता का आंकलन करने के लिए प्रत्येक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के लिए उपलब्ध स्वीकृत सीटों का प्रतिशत संकेतक के रूप में लिया गया था। हमने नमूना जांच किये गये विश्वविद्यालयों में प्रथम वर्ष के स्नातक (बीए, बीएससी और बीकॉम) और परास्नातक (एमए, एमएससी और एम कॉम) पाठ्यक्रमों के आंकडे प्राप्त किये और सीट और आवेदन अनुपात की गणना की। नमूना जांच किये गये विश्वविद्यालयों में वर्ष 2016–17 से वर्ष 2019–20 के दौरान इन पाठ्यक्रमों में स्वीकृत सीटों की संख्या, प्राप्त आवेदनों की संख्या और आवेदन के लिए सीटों का अनुपात **तालिका 2.9** और **चार्ट 2.5** में दिया गया है।

तालिका 2.9: स्नातक और परास्नातक सामान्य संकायों के लिए सीट और आवेदन अनुपात

विश्वविद्यालय का नाम	2016–17			2017–18			2018–19			2019–20		
	स्वीकृत सीटें	आवेदन प्राप्त	सीट आवेदन अनुपात (प्रतिशत)	स्वीकृत सीटें	आवेदन प्राप्त	सीट आवेदन अनुपात (प्रतिशत)	स्वीकृत सीटें	आवेदन प्राप्त	सीट आवेदन अनुपात (प्रतिशत)	स्वीकृत सीटें	आवेदन प्राप्त	सीट आवेदन अनुपात (प्रतिशत)
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ	3,002	23,923	0.13:1 (13)	3,002	22,392	0.13:1 (13)	3,002	23,383	0.13:1 (13)	3,479	24,437	0.14:1 (14)
लखनऊ विश्वविद्यालय	6,018	31,793	0.19:1 (19)	6,568	33,457	0.20:1 (20)	6,688	33,725	0.20:1 (20)	6,653	31,214	0.21:1 (21)

(स्रोत– महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय)

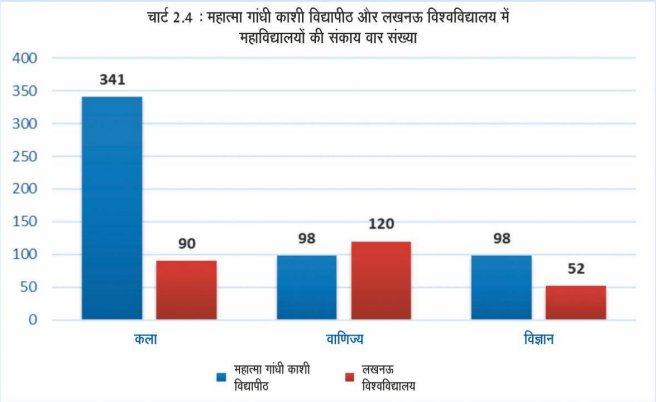

अध्ययन के किसी भी पाठ्यक्रम/कार्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए छात्र को न्यूनतम एक सीट की आवश्यकता होती है। जैसा कि चार्ट 2.5 से स्पष्ट है, वर्ष 2016–2020 के दौरान महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में मात्र 13 से 14 प्रतिशत छात्रों के लिए सीटें उपलब्ध थी और एक छात्र के लिए 19 से 21 प्रतिशत सीटें लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए उपलब्ध थीं। नमूना जांच किये गये दोनो विश्वविद्यालयों में वर्ष 2016–20 के दौरान सीट आवेदन अनुपात में वृद्धि नगण्य थी।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2022) कि नये विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना के माध्यम से प्रति छात्र सीटों के वितरण में संतुलन की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।

2.3 उच्च शिक्षा में समानता सुनिश्चित करना

उच्च शिक्षा में समानता प्राप्त करना किसी भी उच्च शिक्षा प्रणाली का सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत उद्देश्य है। समाज के विभिन्न वर्गों, जैसे लिंग, जाति, सामाजिक–आर्थिक पिछड़ापन, दिव्यांगता और अन्य कमजोर वर्गों में समानता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तर 21.239 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्चस्व वाले क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने और वंचित वर्गों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक समग्र तरीके से समानता हेतु लागू विभिन्न योजनाओं को एक साथ मिलाकर उस पर ध्यान केन्द्रित करने वाले एक लक्षित दृष्टिकोण की परिकल्पना की गयी थी। इसके अलावा उच्च शिक्षा में समावेशी और गुणात्मक विस्तार पर प्रतिवेदन के प्रस्तर 2.2.2(अ) के अनुसार बारहवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा तक पहुंच में पुरूषों और महिलाओं के बीच के अंतर को पूरी तरह से समाप्त करना होगा।

निम्नलिखित प्रस्तरों में, वंचित समूह के सकल नामांकन अनुपात में वृद्वि से सम्बंधित पहलुओं और नमूना जांच की गयी संस्थाओं द्वारा किये गये प्रयासों के बारे में, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ को मजबूत करना, लिंग समानता संवर्धन कार्यक्रम आयोजित करना आदि सम्मिलित है, पर चर्चा की गयी है।।

2.3.1 वंचित समूहों का सकल नामांकन अनुपात

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांग और महिलाओं को आम तौर पर हमारे समाज के वंचित वर्ग के रूप में माना जाता है और अनेक नीतियां और योजनाएं उच्च शिक्षा में उनके नामांकन को बढ़ाने का लक्ष्य रखती हैं। इन वर्गों के नामांकन में सुधार और इस तरह के सुधार के लिए लक्षित उपायों की प्रभावशीलता का आंकलन करने के लिए श्रेणीवार सकल नामांकन अनुपात सबसे आम मापक है। इस सम्बंध में राज्य सरकार के प्रयासों का आंकलन करने के लिए वर्ष 2014–20 के दौरान अखिल भारतीय अनुपातों/लक्ष्यों के सम्बंध में श्रेणीवार सकल नामांकन अनुपात में वृद्वि का उपयोग उच्च शिक्षा में परिणामों के लिए संकेतक के रूप में किया गया है ***(परिशिष्ट 1.2 का क्रमांक 20)***।

अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्संख्यकों और दिव्यांग श्रेणियों के सकल नामांकन अनुपात के सम्बंध में सूचनायें मांगे जाने पर भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये थे। सम्पूर्ण आंकड़ों के अभाव में लेखापरीक्षा केवल शिक्षा मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग), भारत सरकार के अखिल भारतीय उच्च

शिक्षा सर्वेक्षण प्रतिवेदन से आंकड़ें लेते हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला श्रेणियों के सकल नामांकन अनुपात और लिंग समानता सूचकांक[4] का विश्लेषण कर सकती थी। वर्ष 2014–15 से 2019–20 की अवधि के लिए अखिल भारतीय और उत्तर प्रदेश के आंकडे **तालिका 2.10** में दिये गये हैं।

तालिका 2.10: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के सकल नामांकन अनुपात और लिंग समानता सूचकांक

वर्ष	अनुसूचित जाति का सकल नामांकन अनुपात		अनुसूचित जनजाति का सकल नामांकन अनुपात		महिलाओं का सकल नामांकन अनुपात		लिंग समानता सूचकांक	
	अखिल भारतीय	उत्तर प्रदेश	अखिल भारतीय	उत्तर प्रदेश	अखिल भारतीय	उत्तर प्रदेश	अखिल भारतीय	उत्तर प्रदेश
2014–15	19.10	20.60	13.70	30.60	23.20	25.50	0.92	1.04
2015–16	19.90	20.50	14.20	30.60	23.50	24.90	0.92	1.03
2016–17	21.10	21.10	15.40	33.30	24.50	25.30	0.94	1.03
2017–18	21.80	21.70	15.90	35.60	25.40	26.70	0.97	1.06
2018–19	23.00	24.00	17.20	42.60	26.40	27.50	1.00	1.14
2019–20	23.40	23.60	18.00	39.00	27.30	26.90	1.01	1.13

(स्रोत– अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण प्रतिवेदन*)*

वर्ष 2014–20 की अवधि के लिए ऊपर दी गयी **तालिका 2.10** से विदित होता है:

- हालांकि उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग का सकल नामांकन अनुपात वर्ष 2014–15 के 20.60 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2019–20 में 23.60 प्रतिशत हो गया, लेकिन इसमें पिछले वर्ष (वर्ष 2018–19: 24.00 प्रतिशत) की तुलना में कमी देखी गयी। हालांकि यह वर्ष 2017–18 को छोड़कर सभी वर्षो में अखिल भारतीय औसत से बेहतर/बराबर था।
- अनुसूचित जनजाति श्रेणी का सकल नामांकन अनुपात 30.60 से बढ़कर 39.00 हो गया लेकिन इसमें पिछले वर्ष (वर्ष 2018–19 : 42.60) की तुलना में कमी भी देखी गयी। हालांकि यह सभी वर्षों में अखिल भारतीय औसत से बहुत आगे था।
- महिला वर्ग का सकल नामांकन अनुपात अंतिम वर्ष के पहले वर्ष के 27.50 से वर्ष 2019–20 में घटकर 26.90 हो गया।
- उत्तर प्रदेश की सभी श्रेणियों का लिंग समानता सूचकांक 1.04 से बढ़कर 1.13 हो गया जो एक अच्छा संकेत था।

राज्य सरकार ने कहा (जुलाई 2022) कि राज्य में महिला एवं अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति वर्ग के सकल नामांकन अनुपात में सुधार के लिए शुल्क में कमी, छात्रवृत्ति योजना को लागू करने और अन्य सुविधाएं प्रदान करने आदि के माध्यम से छात्रों को प्रोत्साहित किया जाता है।

2.3.2 वंचित समूहों की सहायता के लिए संस्थागत तंत्र

शीर्ष योजना और नियामक संस्थानों ने समान अवसर प्रकोष्ठ, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठों, सामुदायिक शिक्षा विकास प्रकोष्ठ (सीईडीसी) आदि जैसे संस्थागत तंत्रों को स्थापित करने और मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत (सितम्बर 2009) निर्देशों में कहा गया था कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) और अल्पसंख्यकों हेतु

[4] इसकी गणना उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकित पुरूषों की संख्या से महिलाओं की संख्या के भागफल के रूप में की जाती है।

कम से कम प्रारम्भिक स्तर प्राप्त करने और गुणवत्ता में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए मदद के लिये ढांचे और बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए महाविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठ (ईओसी) की स्थापना की जानी चाहिये। महाविद्यालयों को भी समान अवसर प्रकोष्ठ (ईओसी) खोलने के लिए सहायता के रूप में विश्वविद्याालय अनुदान आयोग से धन प्राप्त करने की अनुमति दी गयी थी। दसवीं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ की स्थापना प्रारम्भ किया।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना में सभी मान्यता प्राप्त संस्थानों में अनिवार्य रूप से सामुदायिक शिक्षा विकास प्रकोष्ठ (सीईडीसी) के गठन की परिकल्पना की गयी थी। उच्च शिक्षा के समावेशी और गुणात्मक विस्तार (12वीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज) का प्रस्तर 6.1.2 वंचित सामाजिक समूह से शिक्षकों और प्रशासनिक कर्मचारियों के प्रवेश के साथ–साथ छात्रों के प्रवेश, प्रदर्शन, क्षमता निर्माण प्रयासों की निगरानी के लिए अल्पसंख्यकों के नये कार्यक्रमों सहित सामुदायिक शिक्षा विकास प्रकोष्ठ (सीईडीसी) के निर्माण को निर्धारित करता है। समान अवसर प्रकोष्ठ (ईओसी) और सामुदायिक शिक्षा विकास प्रकोष्ठ (सीईडीसी) पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गयी है।

2.3.2.1 समान अवसर प्रकोष्ठ और सामुदायिक शिक्षा विकास प्रकोष्ठ

समान अवसर प्रकोष्ठ और सामुदायिक शिक्षा विकास प्रकोष्ठ का मूल उद्देश्य वंचित समूहों के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करना, शैक्षणिक, वित्तीय, सामाजिक और अन्य मामलों के सम्बंध में मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करना, छात्रों के प्रवेश, प्रदर्शन, क्षमता तथा अल्पसंख्यकों के नये कार्यक्रमों आदि सहित वंचित सामाजिक समूहों से संकाय और प्रशासनिक कर्मचारियों में भर्ती के साथ–साथ क्षमता निर्माण के प्रयासों की निगरानी करना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ ने विश्वविद्यालय में समान अवसर प्रकोष्ठ के गठन को अधिसूचित नहीं किया था। लखनऊ विश्वविद्यालय में हालांकि समान अवसर प्रकोष्ठ को सितम्बर 2013 में एक अधिसूचना के माध्यम से स्थापित किया गया था, लेकिन वर्ष 2014–20 के दौरान इसने अपनी कार्यात्मक गतिविधियों को पूरा नहीं किया।

नमूना जांच किए गए दोनों विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध किसी भी नमूना जांच किये गये महाविद्यालय ने समान अवसर प्रकोष्ठ खोलने के लिए विश्वविद्याालय अनुदान आयोग योजना से राशि नहीं ली। जिससे महाविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठ नहीं खुल सके और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र प्रकोष्ठ के लाभ से वंचित रह गये।

सामुदायिक शिक्षा विकास प्रकोष्ठ का गठन महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, लखनऊ विश्वविद्यालय और उनके नमूना जांच किये गये सम्बद्ध महाविद्यालयों में भी नहीं किया गया था। संस्थान (सीईडीसी) का गठन नहीं करने के कारण सभी नमूना जांच किये गये उच्च शिक्षण संस्थानों में वंचित वर्गो के छात्रों को समान स्तर पर रखने के लिए सभी पहलों और कार्यक्रमों से अवगत नहीं कराया गया था।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2022) कि विभिन्न प्रकोष्ठों की स्थापना के लिए निर्देश जनवरी 2021 में जारी किये गये थे। समापन बैठक (15 जुलाई 2022) में यह अवगत कराया गया था कि समस्या उच्च शिक्षण संस्थानों में स्थापित प्रकोष्ठों द्वारा दस्तावेजीकरण न करने के कारण हो सकती है। आगे यह भी कहा गया कि पहले विश्वविद्याालय अनुदान आयोग ने प्रकोष्ठों की स्थापना के लिए धन उपलब्ध कराया था लेकिन अब वित्त पोषण रोक दिया गया है।

तथ्य यह है कि नमूना जांच किये गये विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठ और सामुदायिक शिक्षा विकास प्रकोष्ठ को या तो अधिसूचित नहीं किया गया था या कार्यशील

नहीं था, परिणामस्वरूप उच्च शिक्षण संस्थान और छात्र समान अवसर प्रकोष्ठ और सामुदायिक शिक्षा विकास प्रकोष्ठ के संस्थागत परिणामों का लाभ नहीं उठा सके।

2.3.3 लैंगिक समानता संवर्धन कार्यक्रम और लैंगिक संवेदनशील सुविधाएं

उच्च शिक्षा में लैंगिक समानता बढ़ाने के लिए महिलाओं जिन्हें प्रायः हमारे समाज का सबसे बड़ा वंचित वर्ग माना जाता है, का उत्थान सामान्य रूप से आवश्यक है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद किसी उच्च शिक्षण संस्थान की मान्यता के दौरान लैंगिक समानता संवर्धन और संवेदनशीलता को बढावा देने के किसी संस्थान के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। यह इसे 'संस्थागत मूल्यों' का एक प्रमुख संकेतक मानता है। आयोजित किये जा रहे लैंगिक समानता संवर्धन कार्यक्रमों (यौन उत्पीड़न और महिलाओं के खिलाफ हिंसा, महिलाओं के अधिकार और आपराधिक न्याय तक पहुंच, महिलाओं से सम्बंधित कानूनों के बारे में कानूनी जागरूकता आदि) की संख्या और लैंगिक संवेदनशील सुविधाएं (संरक्षा और सुरक्षा, परामर्श, कॉमन रूम आदि) प्रदान करने के संदर्भ में एक उच्च शिक्षण संस्थान की पहल का मूल्यांकन किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2014 के दौरान महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के आठ नमूना जांच किये गये विभागों[5] में से दो विभागों (सामाजिक कार्य विभाग और मनोविज्ञान विभाग) ने हिंसा उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हस्ताक्षर अभियान, निर्भया स्मृति दिवस पर व्याख्यान, तीन तलाक पर जागरूकता कार्यक्रम आदि का आयोजन वर्ष 2014–20 के दौरान किया। तथापि विभागों द्वारा इन गतिविधियों से सम्बंधित अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था। वर्ष 2014–20 के दौरान विश्वविद्यालयों में 19 लैंगिक समानता संवर्धन कार्यक्रम (17 कार्यक्रम सामाजिक कार्य विभाग द्वारा और दो कार्यक्रम मनोविज्ञान विभाग द्वारा) आयोजित किये गये।

लखनऊ विश्वविद्यालय में नमूना जांच किये गये 10 विभागों[6] में से किसी भी विभाग ने लैंगिक समानता संवर्धन कार्यक्रम आयोजित नहीं किया।

वर्ष 2014–20 के दौरान, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी से सम्बद्व छह नमूना जांच किये गये शासकीय महाविद्यालयों और अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में से पांच महाविद्यालयों[7] ने आत्मरक्षा प्रशिक्षण, यौन शोषण और हिंसा के खिलाफ जागरूकता आदि से सम्बंधित लैंगिक समानता कार्यक्रम आयोजित किये।

नमूना जांच किये गये लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्व शासकीय महाविद्यालयों[8] और अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों[9] ने वर्ष 2014–20 के दौरान लैंगिक समानता संवर्धन कार्यक्रमों का आयोजन किया, जैसे लिंग संवेदीकरण, अर्न्तराष्ट्रीय महिला दिवस और अर्न्तराष्ट्रीय साक्षरता दिवस का उत्सव, महिला सशक्तिकरण पर व्याख्यान, लिंगानुपात पर पोस्टर प्रतियोगिता, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, बाल उत्पीड़न आदि।

जैसा कि उपरोक्त प्रस्तरों से स्पष्ट है नमूना जांच किये गये विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के कुछ विभागों में लैंगिक समानता संवर्धन कार्यक्रम छिटपुट रूप से आयोजित किये गये थे।

उत्तर में, लखनऊ विश्वविद्यालय ने कहा (जुलाई 2022) कि उसके पास लैंगिक संवेदीकरण प्रकोष्ठ है जो जागरूकता कार्यक्रम, व्याख्यान और प्रशिक्षण आयोजित करता है। महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ ने इस प्रकरण पर कोई जवाब नहीं दिया।

---

[5] महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ : वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञान, और समाज शास्त्र।

[6] लखनऊ विश्वविद्यालयः अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, दर्शनशास्त्र, व्यवहारिक अर्थशास्त्र, वाणिज्य, भौतिकी, रसायन विज्ञान और वनस्पति विज्ञान।

[7] राजकीय पीजी महाविद्यालय ओबरा सोनभद्र, राजकीय महाविद्यालय नौगढ़ चंदौली, पंडित कमलापति त्रिपाठी राजकीय महाविद्यालय चंदौली, जगतपुर पीजी कालेज वाराणसी और अग्रसेन कन्या पीजी महाविद्यालय वाराणसी।

[8] महाराजा बिजली पासी राजकीय पीजी महाविद्यालय आसियाना लखनऊ तथा महामाया राजकीय महाविद्यालय महोना लखनऊ।

[9] करामात हुसैन मुस्लिम बालिका पीजी महाविद्यालय लखनऊ तथा नवयुग कन्या महाविद्यालय लखनऊ।

2.3.4 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्रवेश में आरक्षण

शासनादेश[10] (18 फरवरी 2019) के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2019–20 से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षण संस्थानों[11] में प्रवेश में प्रत्येक श्रेणी में कुल सीटों के अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा तक आरक्षण प्रदान किया जाना है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि नमूना जाँच किये गये दोनों विश्वविद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रवेश के लिये 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गयीं थीं। वर्ष 2019–22 के दौरान प्रत्येक वर्ष बीए, बीएससी, बी कॉम, एमए, एमएससी और एम कॉम पाठ्यक्रमों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में आरक्षित 345 सीटों में से वर्ष 2019–20 में केवल 132 सीटें (38 प्रतिशत), 2020–21 में 188 सीटें (54 प्रतिशत) और 2021–22 में 214 सीटें (62 प्रतिशत) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों से भरी गईं।

लखनऊ विश्वविद्यालय में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए 2019–20, 2020–21 और 2021–22 में आरक्षित 395, 413 और 420 स्नातक सीटों में से क्रमशः 347 सीटें (88 प्रतिशत), 373 सीटें (90 प्रतिशत) और 259 सीटें (62 प्रतिशत) भरे गए। इसके अलावा, परास्नातक पाठ्यक्रमों में 2019–20, 2020–21 और 2021–22 के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए 390, 462 और 470 आरक्षित सीटों के विरूद्ध क्रमशः 257 छात्र (66 प्रतिशत), 311 छात्र (67 प्रतिशत) और 315 छात्र (67 प्रतिशत) भर्ती किए गए थे।

नमूना जाँच किये गये शासकीय महाविद्यालय

लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त महाराजा बिजली पासी शासकीय पीजी महाविद्यालय, लखनऊ में, यद्यपि एमए (30 सीटें) और एमएससी (तीन सीटें) पाठ्यक्रमों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सीटें आरक्षित थीं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत प्रवेश नहीं पाया गया। इसके अलावा, बीए (24), बी एससी (छह) और बी कॉम (छह) में आरक्षित सीटों में से, 2019–22 के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कोटे के अंतर्गत बीए में कोई प्रवेश नहीं देखा गया, जबकि एक छात्र को 2019–20 में बी एससी पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया था। बी कॉम पाठ्यक्रम में 2019–20, 2020–21 और 2021–22 में क्रमशः तीन, पांच और एक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को प्रवेश प्रदान किया गया था। महाविद्यालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की खाली सीटों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कोटे के अंतर्गत कम आवेदनों को जिम्मेदार ठहराया।

लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महामाया शासकीय महाविद्यालय, महोना, लखनऊ में बीए, बीएससी और बी कॉम पाठ्यक्रमों में 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित थीं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के प्रवेश पर नहीं पाया गया। महाविद्यालय ने कहा (सितंबर 2022) कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अंतर्गत छात्रों को उनके आवेदन करने पर प्रवेश दिया जाएगा।

पंडित कमलापति त्रिपाठी शासकीय पीजी महाविद्यालय, चंदौली, जो महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ से सम्बद्ध है, ने 2019–22 के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए बीए पाठ्यक्रम में आवश्यक 20 सीटों (स्वीकृत 200 सीटों के मुकाबले 10 प्रतिशत) के विरूद्ध 10 सीटें आरक्षित कीं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सभी सीटें 2019–20 और 2020–21 के दौरान भरी गईं, हालांकि, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की चार सीटें 2021–22 के दौरान खाली रहीं।

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ से सम्बद्ध शासकीय पीजी महाविद्यालय, ओबरा, सोनभद्र के मामले में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए सीटें आरक्षित थीं, लेकिन ये 2020–22 के

[10] उत्तर प्रदेश सरकार आदेश संख्या 1/2019/4/1/2002/का–2/19 टी.सी.2 दिनांक 18.02.2019।
[11] अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर।

दौरान एम एससी और एम कॉम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सीटों[12] के आंशिक उपयोग को छोड़कर 2019–22 के दौरान खाली रहीं। कॉलेज ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की खाली सीटों के लिए प्रवेश के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदनों की कमी को जिम्मेदार ठहराया। इसके अलावा, शासकीय पीजी महाविद्यालय, नौगढ़ चंदौली ने बीए पाठ्यक्रम के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये सीटें आरक्षित कीं, फिर भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कोटा का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि महाविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदकों की कुल संख्या कॉलेज में स्वीकृत सीटों की संख्या से कम रही।

नमूना जाँच किये गये अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय

नमूना–जांच किए गए पांच अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में से अल्पसंख्यक महाविद्यालय होने के कारण करामत हुसैन मुस्लिम बालिका पीजी महाविद्यालय, लखनऊ में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कोटे के अंतर्गत आरक्षण लागू नहीं था। नमूना जांच किए गए शेष चार अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों ने नवयुग कन्या महाविद्यालय लखनऊ को छोड़कर, जिन्होंने वर्ष 2019–20 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए सीटें आरक्षित नहीं की और 2020–21 और 2021–22 में 10 प्रतिशत से कम सीटें[13] आरक्षित की थीं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित कीं। इसके अलावा, सकलडीहा पीजी महाविद्यालय, चंदौली जिसमें 2020 में बीए पाठ्यक्रम में 72 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सीटों के सापेक्ष केवल तीन छात्रों को प्रवेश दिया गया था, को छोड़कर, 2019–22 के दौरान आरक्षित सीटों के सापेक्ष आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के प्रवेश पर ध्यान नहीं दिया गया था।

इन महाविद्यालयों ने बताया (सितम्बर 2022) कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कोटे के तहत छात्रों से आवेदन न मिलने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सीटें खाली रहीं।

इस प्रकार, यद्यपि नमूना–जांच किए गए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए सीटों का 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया था, इस श्रेणी के अंतर्गत बड़ी संख्या में सीटें रिक्त थीं।

2.3.5 दिव्यांग छात्रों के लिए भौतिक अवसंरचना

विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 इंगित करता है कि दिव्यांग व्यक्तियों को सभी स्तरों पर शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए। प्रतिवेदन के प्रस्तर 2.2.2 (सी) में उच्च शिक्षा के सभी संस्थानों तक पहुंचने के लिए दिव्यांग छात्रों को सक्षम बनाने के लिए बुनियादी ढांचागत सुविधाओं में सुधार का प्रावधान है। इसके अलावा, किसी संस्थान की मान्यता के दौरान, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद उस संस्थान में भौतिक सुविधाओं जैसे लिफ्ट, रैंप/रेल, ब्रेल सॉफ्टवेयर, विश्राम कक्ष, परीक्षा के लिए लेखक, कौशल विकास आदि की उपलब्धता पर विचार करता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के आठ नमूना जांच किए गए विभागों में कई बुनियादी ढांचे, जैसे लिफ्ट, रैंप/रेल, ब्रेल सॉफ्टवेयर, कौशल विकास आदि उपलब्ध नहीं थे। केवल वाणिज्य विभाग में विश्राम कक्ष की सुविधा थी और केवल तीन विभागों ने दिव्यांग छात्रों की मांग पर परीक्षाओं में लेखक प्रदान किए। लखनऊ विश्वविद्यालय में नमूना जांच किये गये दस विभागों में से केवल वनस्पति विज्ञान विभाग में विश्राम कक्ष की सुविधा उपलब्ध थी।

[12] एमएससी की नौ ईडब्ल्यूएस सीटों में से दो छात्रों (2020–21 में) और तीन छात्रों (2021–22 में) ने दाखिला लिया। इसके अलावा, एम कॉम में चार छात्रों (2020–21 में) और छह छात्रों (2021–22 में) को छह ईडब्ल्यूएस सीटों में से प्रवेश दिया गया था।

[13] 2020–21 और 2021–22 में क्रमशः बीए, बीएससी और बी कॉम पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यक 77, 20 और 26 सीटों के मुकाबले ईडब्ल्यूएस के लिए 70, 19 और 24 सीटें आरक्षित हैं।

लखनऊ विश्वविद्यालय ने उत्तर में कहा (जुलाई 2022) कि दिव्यांग छात्रों को प्रवेश, परीक्षा, शिक्षण और अन्य सभी गतिविधियों में सभी प्रकार की भौतिक आधारभूत संरचना प्रदान की गई थी। लेकिन लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए साक्ष्य कुछ और ही कह रहे थे। महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ ने इस प्रकरण पर कोई जवाब नहीं दिया।

2.4 शिक्षण अवसंरचना

उच्च शिक्षण संस्थानों को ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जो न केवल सीखने का आश्वासन दे, बल्कि छात्रों के मानसिक और शारीरिक कल्याण पर भी ध्यान दे। पर्यावरणीय कारक शैक्षिक प्रदर्शन को बढ़ा सकते हैं और उपस्थिति को प्रेरित कर सकते हैं। ज्यादा भीड़भाड़ और तनावपूर्ण वातावरण छात्रों की सीखने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। भौतिक स्थितियाँ छात्रों के सर्वांगीण विकास पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव छोड़ सकती हैं।

अच्छी तरह से सुसज्जित प्रयोगशालाएं छात्रों को प्रयोगशाला गतिविधियों को अधिक प्रभावी ढंग से करने में सक्षम बनाती हैं। कार्यशालाएं, पुस्तकालय, हॉल, खेल उपकरण, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सुविधाएं, विकलांग छात्रों के लिए रैंप, पेयजल सुविधा, सभा का स्थान और उचित स्वच्छता सुविधाएं कुछ बुनियादी सुविधाएं हैं जो प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान को अपने छात्रों को प्रदान करनी चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों की सम्बद्धता) विनियम, 2009 का प्रस्तर 3.1 निर्धारित करता है कि सम्बद्ध महाविद्यालयों में न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं जैसे कि कॉलेज भवन, कक्षाएं, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, आदि, जैसा कि विनियम में निर्दिष्ट है, होनी चाहिए। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद किसी संस्थान को मान्यता प्रदान करते समय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सक्षम कक्षाओं और छात्र–कंप्यूटर अनुपात के प्रतिशत पर भी विचार करता है।

इनमें से कुछ पहलुओं की लेखापरीक्षा के दौरान जांच की गई और संबंधित टिप्पणियों की चर्चा अनुवर्त प्रस्तरों में की गई है।

2.4.1 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सुविधाओं की उपलब्धता

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से उन्नत शिक्षण विधियों को प्रोत्साहित करने के लिए नमूना जांच संस्थानों द्वारा किए गए प्रयासों का आकलन करने के लिए, वर्ष 2019–20 के दौरान सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी–सक्षम सुविधाओं जैसे, स्मार्ट क्लास, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इत्यादि के साथ कक्षाओं/सेमिनार हॉल का प्रतिशत, लेखापरीक्षा में उपयोग किया गया था ***(परिशिष्ट 1.2 का क्रमांक 22)***। यह संकेतक उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और प्रत्यायन प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख संकेतकों में से एक है।

वर्ष 2019–20 के दौरान महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के चयनित आठ विभागों[14] और लखनऊ विश्वविद्यालय के चयनित 10 विभागों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सक्षम कक्षाओं का प्रतिशत **तालिका 2.11** में दिया गया है।

तालिका 2.11: नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सक्षम कक्षाएँ

विश्वविद्यालय का नाम	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सक्षम कक्षाओं का प्रतिशत		
	कक्षाओ की कुल संख्या	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साथ कक्षाओं की संख्या	प्रतिशत
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ	28	08	29
लखनऊ विश्वविद्यालय	60	10	17

(स्रोतः महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ *तथा* लखनऊ विश्वविद्यालय*)*

[14] विश्वविद्यालय की समेकित सूचना अनुपलब्धता के कारण।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2019–20 के दौरान महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय में क्रमशः 29 प्रतिशत और 17 प्रतिशत कक्षायें सूचना एवं संचार प्रौद्यौगिकी सक्षम थे। आगे संवीक्षा से पता चला कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के छह नमूना जांच किए गए महाविद्यालयों में से दो[15] में सूचना एवं संचार प्रौद्यौगिकी सक्षम कक्षाएँ नहीं थीं। इसके अलावा, शेष चार नमूना जांच किए गए महाविद्यालयों[16] में वर्ष 2019–20 के दौरान 165 कक्षाओं में से 15 (9 प्रतिशत) सूचना एवं संचार प्रौद्यौगिकी सक्षम थे। लखनऊ विश्वविद्यालय के मामले में, चार नमूना जांच किए गए महाविद्यालयों में से एक महाविद्यालय (महामाया शासकीय महाविद्यालय महोना लखनऊ) में सूचना एवं संचार प्रौद्यौगिकी से सुसज्जित कक्षा नहीं थी, जबकि शेष तीन महाविद्यालयों[17] में 93 कक्षाओं में से 15 (16 प्रतिशत) सूचना एवं संचार प्रौद्यौगिकी सक्षम थे। इस प्रकार, लखनऊ विश्वविद्यालय, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और उनके नमूना जांच किए गए महाविद्यालयों में संकायों द्वारा सूचना एवं संचार प्रौद्यौगिकी शिक्षण उपकरणों का उपयोग बहुत कम था।

लखनऊ विश्वविद्यालय ने बताया (जुलाई 2022) कि लगभग सभी विभागों में सूचना एवं संचार प्रौद्यौगिकी सुविधाएं उपलब्ध थीं। तथापि, तथ्य यह है कि नमूना–जांच किए गए विभागों में केवल 17 प्रतिशत कक्षाओं में ही सूचना एवं संचार प्रौद्यौगिकी की सुविधा थी।

2.4.2 अवसंरचना सुविधाओं की उपलब्धता

भवन, कक्षाएं, प्रयोगशालाएं और उपकरण विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सीखने के वातावरण के महत्वपूर्ण तत्व हैं। उच्च गुणवत्ता वाला बुनियादी ढांचा छात्रों के परिणामों में सुधार करता है और अन्य लाभों के साथ ड्रॉपआउट दरों को कम करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों की सम्बद्धता) विनियमन, 2009 सम्बद्ध महाविद्यालयों के लिए भवनों, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि की न्यूनतम आवश्यकता के लिए मानदंड निर्धारित किया है।

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं के अनुसार, विश्वविद्यालय में प्रशासनिक और शैक्षणिक खण्ड, प्रयोगशालाएं और केंद्रीय पुस्तकालय उपलब्ध थे। विश्वविद्यालय के पुस्तकालय ने ई–शोधसिंधु[18] के माध्यम से ई–संसाधनों तक निःशुल्क पहुंच प्रदान की थी। हालांकि, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने भौतिकी, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और प्राणि विज्ञान की प्रयोगशालाओं में निम्नलिखित उपकरणों की कमी की सूचना दी।

तालिका 2.12: जनवरी 2020 तक महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की प्रयोगशालाओं में उपकरणों की कमी

प्रयोगशाला का नाम	उपकरण के प्रकार	आवश्यक उपकरणों की संख्या	उपलब्ध उपकरणों की संख्या	कमी (प्रतिशत)
भौतिक विज्ञान	38	158	57	101(64)
रसायन विज्ञान	27	480	433	47(8)
वनस्पति विज्ञान	42	1319	1141	178(14)
प्राणि विज्ञान	21	198	141	57(29)

(स्रोतः महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ)

[15] पंडित कमलापति त्रिपाठी राजकीय पीजी महाविद्यालय चंदौली और राजकीय महाविद्यालय नौगढ़ चंदौली।

[16] श्री अग्रसेन कन्या पीजी महाविद्यालय वाराणसी (85 कक्षाओं में 04 सूचना एवं संचार प्रौद्यौगिकी सक्षम कक्षाएँ), जगतपुर पीजी महाविद्यालय वाराणसी (52 कक्षाओं में 05 सूचना एवं संचार प्रौद्यौगिकी सक्षम कक्षाएँ), राजकीय पीजी महाविद्यालय सोनभद्र ओबरा (15 कक्षाओं में 04 सूचना एवं संचार प्रौद्यौगिकी सक्षम कक्षाएँ) तथा सकलडीहा पीजी महाविद्यालय (13 कक्षाओं में 02 सूचना एवं संचार प्रौद्यौगिकी सक्षम कक्षाएँ)।

[17] लखनऊ विश्वविद्यालय का महाराजा बिजली पासी राजकीय महाविद्यालय आसियाना लखनऊ (18 क्लासरूम में 06 आईसीटी इनेबल्ड क्लासरूम) करामात हुसैन मुस्लिम बालिका महाविद्यालय लखनऊ (25 क्लासरूम में 02 आईसीटी इनेबल्ड क्लासरूम) तथा नवयुग कन्या महाविद्यालय लखनऊ (50 क्लासरूम में 07 आईसीटी इनेबल्ड क्लासरूम)।

[18] मानव संसाधन विकास मंत्रालय (नाम परिवर्तन के पश्चात अब शिक्षा मंत्रालय) ने ई–शोधसिंधु की रचना की है जो विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों सहित अपने सदस्य संस्थानों को ई–संसाधन (ई जर्नल, ई–जर्नल अभिलेखागार और ई–पुस्तकें) प्रदान करता है।

लखनऊ विश्वविद्यालय

लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचनाओं के अनुसार, विश्वविद्यालय के पास पुराने परिसर में 147 एकड़ भूमि और नए परिसर में 71 एकड़ भूमि, पर्याप्त कक्षाएं, प्रयोगशाला सुविधाएं, खेल का मैदान, खेल सुविधाएं आदि हैं। केंद्रीय पुस्तकालय (टैगोर पुस्तकालय) में छात्रों और संकायों के लिए ई–संसाधन पहुंच के लिए 538 कंप्यूटरों की उपलब्धता थी। ई–शोधसिंधु की सदस्यता थी और पुस्तकालय ने संकाय सदस्यों और छात्रों के लिए ई–पुस्तकें भी खरीदे हैं। इसके अलावा, लखनऊ विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग ने प्रयोगशाला में 16 प्रकार के आवश्यक 442 उपकरणों के सापेक्ष 155 (35 प्रतिशत) उपकरणों की कमी की सूचना दी (अगस्त 2021)।

नमूना जांच किए गए महाविद्यालय

नमूना जांच किए गए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से सम्बद्ध छः महाविद्यालयों (तीन शासकीय महाविद्यालय, तीन अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय) तथा 28 निजी महाविद्यालयों तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध चार महाविद्यालयों (दो शासकीय महाविद्यालय एवं दो अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों) और 12 निजी महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता के भौतिक सत्यापन के परिणाम **तालिका 2.13** में दिए गए हैं:

तालिका 2.13: महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालयों में सुविधाओं की उपलब्धता

विश्वविद्यालय का नाम	महाविद्यालयों की संख्या जिनका भौतिक सत्यापन किया गया		महाविद्यालयों की संख्या जिनमें पर्याप्त प्रशासनिक एवं शैक्षणिक भवन उपलब्ध थे		महाविद्यालयों की संख्या जिनमें प्रयोगशाला सुविधा उपलब्ध थी		महाविद्यालयों की संख्या जिनमें पर्याप्त पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध थी		महाविद्यालयों की संख्या जिनमें पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध थे		महाविद्यालयों की संख्या जो दिव्यांगो के अनुकूल था	
	शासकीय	अशासकीय	शासकीय	अशासकीय	शासकीय	अशासकीय	शासकीय	अशासकीय	शासकीय	अशासकीय	शासकीय	अशासकीय
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ	06	28[19]	06	27	05	25	05	22	05	27	03	06
लखनऊ विश्वविद्यालय	04	12[20]	04	10	4	9[21]	4	10	4	10	0	4

(स्रोतः नमूना जांच किये गये सम्बद्ध महाविद्यालय)

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के शासकीय महाविद्यालयों में पर्याप्त शैक्षणिक और प्रशासनिक भवन उपलब्ध थे लेकिन केवल 83 प्रतिशत महाविद्यालयों में ही पर्याप्त प्रयोगशाला, पुस्तकालय और फर्नीचर था। इसके अलावा, केवल 50 प्रतिशत शासकीय महाविद्यालयों में दिव्यांगों के अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध थीं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के स्व–वित्तपोषित निजी महाविद्यालयों के मामले में सर्वेक्षण के दौरान एक महाविद्यालय बंद पाया गया और शेष 27 निजी महाविद्यालयों में पर्याप्त प्रशासनिक और शैक्षणिक खण्ड के साथ–साथ फर्नीचर भी था। पुस्तकालय और प्रयोगशालाएं क्रमशः 81 प्रतिशत और 93 प्रतिशत स्व–वित्तपोषित निजी महाविद्यालयों में उपलब्ध थीं, जबकि केवल 22 प्रतिशत में विकलांगों के अनुकूल सुविधाएं थीं।

इसी प्रकार, नमूना जांच किए गए लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों में सुविधा सर्वेक्षण के दौरान बंद पाए गए दो स्व–वित्तपोषित निजी महाविद्यालयों को छोड़कर पर्याप्त शैक्षणिक एवं प्रशासनिक भवन उपलब्ध थे। लखनऊ विश्वविद्यालय का कोई भी शासकीय महाविद्यालय दिव्यांगजनों के अनुकूल नहीं था और केवल 40 प्रतिशत निजी महाविद्यालय दिव्यांगजनों के अनुकूल थे।

[19] एक महाविद्यालय (महाराजा जोधराज सिंह महाविद्यालय, संत रविदास नगर, भदोही) बन्द पाया गया।
[20] दो महाविद्यालय (बिमटेक डिग्री महाविद्यालय, बक्शी का तलाब, लखनऊ तथा जाकिस्थ शिक्षा संस्थान, रामपुर बेहटा, लखनऊ) बन्द पाये गये।
[21] एक निजी महाविद्यालय (सी0 बी0 गुप्ता बी0एस0एस0 महाविद्यालय, लखनऊ) में प्रयोगात्मक विषय उपलब्ध नहीं था।

2.4.2.1 छात्रावासों की उपलब्धता

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बालकों के दो और एक लड़कियों का छात्रावास हैं, जिनकी कुल क्षमता 580 छात्रों की है। शैक्षणिक सत्र 2019–20 के दौरान दाखिला लिये कुल 8,592 छात्रों में से 419 छात्र (6.75 प्रतिशत) इन छात्रावासों में रह रहे थे। छात्रावासों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया गया कि नरेंद्र देव बालक छात्रावास में 12 कमरों (दो बिस्तरों की क्षमता वाले) को भंडारण हेतु आरक्षित किया गया था।

लखनऊ विश्वविद्यालय में 2,769 छात्रों (वर्ष 2019–20 में दाखिला लिये 15,562 छात्रों का 18 प्रतिशत) की क्षमता वाले बालकों के दस और लड़कियों के सात छात्रावास हैं। वर्ष 2019–20 के शैक्षणिक सत्र के दौरान इन छात्रावासों में 2,408 छात्र निवास कर रहे थे। कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय के सात छात्रावासों[22] के संयुक्त भौतिक सत्यापन (अगस्त 2021) में लेखापरीक्षा ने पाया कि दो छात्रावास (हबीबुल्लाह बालक छात्रावास एवं प्रोफेसर आर. एस. बिष्ट बालक छात्रावास) अच्छी स्थिति में नहीं थे।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2022) कि डाइनिंग हॉल और किचन की मरम्मत लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा शुरू कर दी गई है।

2.4.2.2 छात्र संतुष्टि सर्वेक्षण

पहले से तैयार किए गए प्रश्नों की सहायता से छात्र संतुष्टि सर्वेक्षण किया गया था। लेखापरीक्षा के लिए नमूना जांच किए गए दोनों विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों (महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और इसके नमूना जांच किए गए महाविद्यालयों में 525 और लखनऊ विश्वविद्यालय और इसके नमूना जांच किए गए महाविद्यालयों में 450) के चयनित विभागों में 975 छात्रों के बीच लेखापरीक्षा द्वारा सर्वेक्षण किया गया था। छात्र सर्वेक्षण के परिणाम **तालिका 2.14** में संक्षेपित हैं।

तालिका 2.14: छात्रों के संतुष्टि सर्वेक्षण के परिणाम

क्र0 सं0	छात्रों की संतुष्टि की स्थिति	उत्तर (छात्रों के प्रतिशत में)	
		महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ	लखनऊ विश्वविद्यालय
1.	**क्या आप परिसर में उपलब्ध प्रयोगशाला की सुविधा से संतुष्ट हैं?**		
	असंतुष्ट	**12**	**12**
	संतुष्ट	**43**	**36**
	आंशिक रूप से संतुष्ट	**21**	**16**
	अत्यधिक संतुष्ट	**15**	**30**
	कोई टिप्पणी नहीं पेश की	**9**	**6**
2.	**क्या आप पुस्तकालय की सुविधा से संतुष्ट हैं?**		
	असंतुष्ट	**06**	**11**
	संतुष्ट	**43**	**35**
	आंशिक रूप से संतुष्ट	**26**	**18**
	अत्यधिक संतुष्ट	**23**	**36**
	कोई टिप्पणी नहीं पेश की	**2**	**0**
3.	**क्या आप परिसर में शौचालय की सुविधा से संतुष्ट हैं?**		
	असंतुष्ट	**08**	**30**
	संतुष्ट	**43**	**28**

[22] तिलक हाल बालिका छात्रावास, चन्द्रशेखर आजाद हाल, कैलाश बालिका छात्रावास, लाल बहादुर शास्त्री बालक छात्रावास, महमूदाबाद बालक छात्रावास, हबीबुल्लाह बालक छात्रावास और प्रोफेसर आर0 एस0 बिष्ट बालक छात्रावास (कला महाविद्यालय)।

क्र0 सं0	छात्रों की संतुष्टि की स्थिति	उत्तर (छात्रों के प्रतिशत में)	
		महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ	लखनऊ विश्वविद्यालय
	आंशिक रूप से संतुष्ट	**18**	**20**
	अत्यधिक संतुष्ट	**30**	**22**
	कोई टिप्पणी नहीं पेश की	**1**	**0**
4.	**क्या आप परिसर में पेयजल सुविधा से संतुष्ट हैं?**		
	असंतुष्ट	**03**	**18**
	संतुष्ट	**39**	**35**
	आंशिक रूप से संतुष्ट	**09**	**19**
	अत्यधिक संतुष्ट	**49**	**28**
	कोई टिप्पणी नहीं पेश की	**0**	**0**
5.	**क्या आप दिव्यांगजनों के लिए सहायक सुविधाओ से संतुष्ट हैं?**		
	असंतुष्ट	**21**	**17**
	संतुष्ट	**38**	**38**
	आंशिक रूप से संतुष्ट	**16**	**21**
	अत्यधिक संतुष्ट	**20**	**21**
	कोई टिप्पणी नहीं पेश की	**5**	**3**
6.	**क्या आप परिसर में साफ–सफाई से संतुष्ट हैं?**		
	असंतुष्ट	**02**	**11**
	संतुष्ट	**44**	**38**
	आंशिक रूप से संतुष्ट	**10**	**19**
	अत्यधिक संतुष्ट	**43**	**32**
	कोई टिप्पणी नहीं पेश की	**1**	**0**

(स्रोतः नमूना जांच किये गये विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालय)

जैसा कि छात्रों के संतुष्टि सर्वेक्षण से स्पष्ट है, छात्रों का एक बड़ा प्रतिशत महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय में उपलब्ध बुनियादी ढांचे से संतुष्ट था।

2.4.3 बुनियादी ढांचे के लिये वित्त पोषण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ाने और समर्थन करके उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के अंतराल को भरने के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के माध्यम से धन प्रदान करता है। यह विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को नए निर्माण, नवीनीकरण या उपकरणों की खरीद के माध्यम से मौजूदा बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए अवसंरचना अनुदान प्रदान करता है। राज्य सरकार महाविद्यालयों को उनके मौजूदा महाविद्यालय भवनों के सुधार, स्मार्ट कक्षाओं और कंप्यूटरों की खरीद के लिए भी धनराशि प्रदान करती है।

इस सम्बन्ध में नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों के प्रयासों का आकलन करने के लिए, वर्ष 2014–20 के दौरान, बजट आवंटन का औसत प्रतिशत, बुनियादी ढांचे में वृद्धि के लिए वेतन को छोड़कर व्यय को लेखापरीक्षा में एक संकेतक ***(परिशिष्ट 1.2 के क्रम संख्या 23)*** के रूप में उपयोग किया गया है। यह संकेतक उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और प्रत्यायन प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख संकेतकों में से एक है।

वर्ष 2014–20 की अवधि के दौरान बुनियादी ढांचे में वृद्धि हेतु बजट आवंटन और वेतन के अतिरिक्त कुल व्यय की स्थिति **तालिका 2.15** में दी गई है।

तालिका 2.15: व्यय के सापेक्ष बुनियादी ढांचे के लिए बजट आवंटन

(₹ करोड़ में)

संस्था का नाम	बजट आबंटन		कुल व्यय वेतन के अतिरिक्त	बुनियादी ढांचे मे वृद्धि के लिये वेतन के अतिरिक्त बजट आबंटन का औसत प्रतिशत
	वेतन के अतिरिक्त कुल आबंटन	बुनियादी ढांचे मे वृद्धि के लिये आबंटन		
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ	216.08	43.56	162.73	27
लखनऊ विश्वविद्यालय	654.10	221.72	462.33	48

(स्रोत: विश्वविद्यालयों की वित्त शाखा)

अभिलेखों और सूचनाओं की जांच से पता चला कि वर्ष 2014–20 के दौरान, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बुनियादी ढांचे के लिए बजट आवंटन वेतन के अतिरिक्त इसके कुल खर्च का 27 प्रतिशत था। इसी तरह, लखनऊ विश्वविद्यालय ने बुनियादी ढांचे पर खर्च के लिए 48 प्रतिशत धन आवंटित किया।

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद उन संस्थानों को अधिकतम अंक प्रदान करता है जहां पिछले पांच वर्षों के दौरान वेतन के अतिरिक्त औसतन 20 प्रतिशत और उससे अधिक बजट आवंटन बुनियादी ढांचे में वृद्धि के लिए था। इस प्रकार, इस सूचक की तुलना में नमूना जांच किए गए दोनों विश्वविद्यालयों ने अच्छा प्रदर्शन किया है।

2.5 वहनीय पहुँच

उच्च शिक्षा तक समान और आसान पहुंच के लिए उसकी वहनीयता एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तर 21.182 के अनुसार, 2020 तक योग्य छात्रों की संख्या दोगुनी होने के साथ सस्ती शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने का दबाव लगातार बढ़ रहा है। विनियमित शुल्क संरचना, शासकीय और निजी महाविद्यालयों में तुलनीय शुल्क, आकर्षक छात्र ऋण योजनाएं और छात्रवृत्तियों/शुल्कमुक्ति का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त अवसर कुछ ऐसे कारक हैं जो उच्च शिक्षा को वहनीय बनाने में योगदान करते हैं। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है:

2.5.1 शुल्क संरचना में एकरूपता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों की सम्बद्धता) विनियम 2009 के अनुसार, प्रत्येक छात्र से लिया जाने वाला शुल्क सम्बद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम में दिए गए विशिष्ट प्रावधान के बावजूद, नमूना जांच किए गए दोनों विश्वविद्यालयों ने उनसे सम्बद्ध निजी महाविद्यालयों के लिए शुल्क संरचना अनुमोदित नहीं की थी।

राज्य सरकार ने विभिन्न स्व–वित्तपोषित पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क के निर्धारण के लिए एक आदेश (1997) जारी किया और बीए, बीएससी और बी कॉम पाठ्यक्रमों को समान मानते हुए, राज्य सरकार ने सभी पाठ्यक्रमों के लिए ₹ 5,000 वार्षिक का समान शिक्षण शुल्क निर्धारित किया। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना जांच किए गए संस्थानों द्वारा वर्ष 2014–20 के दौरान छात्र से लिए गए नियमित और स्व–वित्तपोषित पाठ्यक्रमों का कुल शुल्क काफी हद तक भिन्न थी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में नियमित पाठ्यक्रमों के लिए लिया जा रहा शुल्क लखनऊ विश्वविद्यालय के उसी पाठ्यक्रम से अलग था। इसके अलावा, वर्ष 2014–17 के दौरान बीए (₹ 12,000–22,400), बी कॉम (₹ 25,000–30,000) और एम कॉम (₹ 15,000–16,000) और एमएससी (₹ 16,000–44,400) के स्व–वित्तपोषित पाठ्यक्रमों का लखनऊ विश्वविद्यालय में वार्षिक शुल्क महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक था। लखनऊ

विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2017–20 के लिए शुल्क की सूचना मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराया गया था। अग्रेतर, लखनऊ विश्वविद्यालय के नमूना–जांच किए गए महाविद्यालयों में स्व–वित्तपोषित पाठ्यक्रमों का शुल्क महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के महाविद्यालयों की तुलना में अधिक था *(परिशिष्ट 2.2)*।

नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों और उनके नमूना जांच किए गए महाविद्यालयों में एक पाठ्यक्रम में न्यूनतम और अधिकतम शुल्क (सभी शुल्क सहित) दर्शाते हुए शुल्क संरचना का विवरण नीचे **तालिका 2.16** में दिया गया है:

तालिका 2.16: महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, लखनऊ विश्वविद्यालय और उनके नमूना जांच किए गए महाविद्यालयों में शुल्क संरचना

(₹ में)

पाठ्यक्रम	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ		महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के महाविद्यालय (2014–20)		लखनऊ विश्वविद्यालय (2014–17)		लखनऊ विश्वविद्यालय के महाविद्यालय	
	नियमित	स्व–वित्तपोषित	नियमित	स्व–वित्तपोषित	नियमित	स्व–वित्तपोषित	नियमित	स्व–वित्तपोषित
बी.ए.	2,055–3,190	लागू नहीं	1,730–3,944	उपलब्ध नहीं कराया गया	2,869–10,219	12,000–22,400	2,070–7,000	लागू नहीं
बी.काम	2,105–2,110	लागू नहीं	1,900–2,841	6,550–15,600	6,869–7,919	25,000–30,000	3,365–7,272	11,200–21,300
बी.एस.सी.	लागू नहीं	6,910–13,700	2,410–3,591	6,550–21,800	4,369–17,919	6,000–22,600	4,065–14,660	18,600–25,000
एम.ए.	2,515–4,840	8,100–20,880	1,898–5,171	6,500–28,000	1,852–6,500	6,000–40,000	2,300–5,873	6,885–23,000
एम.काम.	2,565–2,570	लागू नहीं	5,441	13,100–23,000	5,091–5,902	15,000–16,000	उपलब्ध नहीं कराया गया	14,500–15,000
एम.एस.सी.	3,115–3,120	8,100–10,260	2,420–5,441	उपलब्ध नहीं कराया गया	3,352–15,000	16,000–44,400	उपलब्ध नहीं कराया गया	उपलब्ध नहीं कराया गया

(स्रोतः सम्बन्धित संस्था)

इस प्रकार, विभिन्न नियमित और स्व–वित्तपोषित पाठ्यक्रमों की शुल्क संरचना विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय और महाविद्यालय से महाविद्यालय तक, यहां तक कि स्नातक पाठ्यक्रमों में भी जहाँ, राज्य सरकार ने कार्यकारी आदेश के माध्यम से शिक्षण शुल्क की समानता स्थापित की थी, व्यापक रूप से भिन्न थी। यह स्पष्ट संकेत है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बनाए गए स्पष्ट नियम और राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के बावजूद न तो सरकार और न ही विश्वविद्यालयों के पास महाविद्यालयों की शुल्क को विनियमित करने के लिए कोई तंत्र है।

2.5.2 छात्रवृत्ति

एक सुविधाजनक तंत्र के रूप में छात्रवृत्ति[23] योजनाओं का सरकारों द्वारा व्यापक रूप से न केवल मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए बल्कि उच्च शिक्षा तक पहुंच में समानता बढ़ाने के लिए भी उपयोग किया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्गत "उच्च शिक्षा में समावेशी और गुणात्मक विस्तार" पर प्रतिवेदन के प्रस्तर 6.1.2 (सी) में, यह सलाह दी गयी है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए, अनुसूचित

[23] छात्रवृत्ति का तात्पर्य किसी छात्र को उसके अध्ययन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसकी योग्यता, आवश्यकता आदि के कारण दिये गये धन, अथवा अन्य सहायता से है।

जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और फैलोशिप को सभी स्तरों पर बढ़ाया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश सरकार अपने समाज कल्याण विभाग के माध्यम से विभिन्न सामान्य, व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले छात्रों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू करती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यकों के विकास और उनकी शैक्षिक स्थिति को ऊपर उठाने के उद्देश्य से योजना के अन्तर्गत धनराशि को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली से स्थानांतरित किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा ने नमूना जांच किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों को प्रदान की गई छात्रवृत्ति के आंकड़े एकत्र किए। लेखापरीक्षा विश्लेषण के परिणामों की चर्चा नीचे की गई है:

लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2017–20 के दौरान समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की गई दशमोत्तर छात्रवृत्ति से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 73 से 80 प्रतिशत और लखनऊ विश्वविद्यालय में 56 से 67 प्रतिशत छात्र लाभान्वित हुए। नामांकित छात्रों की संख्या, लाभान्वित छात्रों की संख्या और लाभान्वित छात्रों के प्रतिशत का उपयोग उच्च शिक्षा में परिणामों के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है ***(परिशिष्ट 1.2 का क्रमांक 21)***। नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों में वर्ष 2017–20 की अवधि के लिए नामांकित छात्रों और लाभान्वित छात्रों की स्थिति **तालिका 2.17** में दी गई है: :

तालिका 2.17: नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों में वर्ष 2017–20 के दौरान नामांकित छात्र और छात्रवृत्ति से लाभान्वित छात्र

वर्ष	2017–18		2018–19		2019–20	
	नामांकित छात्रों की संख्या	लाभान्वित छात्रों की संख्या (प्रतिशत)	नामांकित छात्रों की संख्या	लाभान्वित छात्रों की संख्या (प्रतिशत)	नामांकित छात्रों की संख्या	लाभान्वित छात्रों की संख्या (प्रतिशत)
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ	8,178	6,535(80)	8,881	6,460(73)	8,592	6,408(75)
लखनऊ विश्वविद्याालय	9,929	5,580(56)	9,409	5,271(56)	8,583	5,780(67)

(स्रोत: महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्याालय)

वर्ष 2014–20 की अवधि के दौरान महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में नमूना–जांच किए गए छः महाविद्यालयों में से चार महाविद्यालयों[24] में 23.05 प्रतिशत से 80.16 प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। शेष दो महाविद्यालयों ने विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति का आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया। नमूना जांच में लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में शासकीय छात्रवृत्ति के लाभार्थियों का विवरण महाविद्यालयों के पास उपलब्ध नहीं था। लखनऊ विश्वविद्यालय ने कहा (जुलाई 2022) कि विद्यार्थियों ने समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया था और उनकी सूचनाओं को सक्षम अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया गया था।

[24] श्री अग्रसेन कन्या पीजी महाविद्यालय, सकलडीहा पीजी महाविद्यालय, सकलडीहा, चंदौली, जगतपुर पीजी महाविद्यालय, वाराणसी और राजकीय पीजी महाविद्यालय, ओबरा, सोनभद्र।

निष्कर्ष एवं अनुशंसा

राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा सुविधाओं की कमी वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए भौगोलिक मानचित्रण नहीं किया। शासकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की संख्या लगभग स्थिर थी, लेकिन स्व–वित्तपोषित महाविद्यालयों की संख्या में 2014–15 की तुलना में 2019–20 में 56 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बीस जिलों में न तो शासकीय और न अशासकीय सहायता प्राप्त बालिका महाविद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश की सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) श्रेणी जो 2014–15 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 थी, 2019–20 में घटकर 21 हो गई। नमूना जांच किए गए अनेक महाविद्यालयों की कक्षाओं में सूचना एवं संचार प्रौद्यौगिकी शिक्षण उपकरणों सहित अवसंरचना सुविधाओं की कमी थी।

नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों ने सम्बद्ध निजी महाविद्यालयों के लिए शुल्क संरचना निर्धारित नहीं की। यहाँ तक कि समान पाठ्यक्रमों के लिये भी शुल्क संरचना में व्यापक भिन्नता थी। इसके अलावा, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 73 से 80 प्रतिशत छात्र और लखनऊ विश्वविद्यालय में 56 से 67 प्रतिशत छात्र राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई छात्रवृत्ति से लाभान्वित हुए।

अनुशंसा 1: उत्तर प्रदेश में वर्ष 2030 तक लक्षित सकल नामांकन अनुपात 40 प्रतिशत प्राप्त करने हेतु, राज्य सरकार द्वारा उन जनपदों में, जहां कमी है, अधिक महाविद्यालयों की स्थापना से उच्च शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना चाहिए।

अनुशंसा 2: सभी महाविद्यालयों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में निर्धारित आधारभूत अवसंरचना उपलब्ध कराना चाहिए तथा सम्बद्ध निजी महाविद्यालयों में अवसंरचना एवं आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता विश्वविद्यालयों द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

अनुशंसा 3: उच्च शिक्षा को वहन करने योग्य बनाने हेतु निजी महाविद्यालयों के शुल्क ढांचा को राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालयों द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए।